


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....~~का.मु.साम~~..... बनाम ~~श्री.सू.क~~.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर. 3/13/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>11/06/24</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>का.मु.साम</u></p> <p>पिता श्री <u>का.जा.जी.भा.जी</u></p> <p>निवासी- <u>दु.वावा वॉरह</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>दु.वावा (पठ.सोनगा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर...<u>खाता सख्या 49</u> <u>मे कुकित आराजी कीता 9 कुल रकबा 3.50 हे. ए. खाता</u> <u>सख्या 51 मे कुकित आराजी सख्या 853, 854 कीता 2 रकबा 0.91 हे.</u> कुल कीता <u>9+2=11</u>..... कुल रकबा <u>4.41 हे.</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>दु.वावा (पठ.सोनगा तह.सू.क)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>खाता सख्या 49 मे कुकित आराजी कीता 9 कुल रकबा 3.50 हे. तथा खाता सख्या 51 मे कुकित आराजी सख्या 853, 854 कीता 02 कुल रकबा 0.91 हे.</u></p> <p>कुल कीता <u>9+2=11</u>.....रकबा <u>4.41 हे.</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000/-</u> रूपये अक्षर <u>51 हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (जी.नू.देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>